संख्या-7/2020/जी-2- 51(1) /दस-2020-1/2016

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 2020**

विषय- एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मियों का वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1/2016/जी-2-89/दस-2016-1/2016, दिनांक 31 मई, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एक राजकीय सेवा से दूसरे राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मियों के वेतन निर्धारण के संबंध में अपेक्षित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को स्पष्ट करते हुये वेतन समिति उ0प्र0 **(**2008**)** की संस्तुतियों के अनुसार लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के सन्दर्भ में वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत किये गये हैं।

2- शासन स्तर पर उपर्युक्त से संबंधित ऐसे प्रकरण भी संदर्भित हुये हैं जहां एक सेवा से दूसरी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में वेतन समिति उ0प्र0 **(**2016**)** की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01-01-2016 से वेतन मैट्रिक्स की पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू है और जिनके संदर्भ में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

3- उक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित समस्या के निराकरण हेतु वेतन समिति उ0प्र0 **(**2016**)** की संस्तुतियों के क्रम में लागू वेतन मैट्रिक्स की पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मियों, जो उक्त प्रस्तर-1 मे उल्लिखित शासनादेश दिनांक 31-5-2016 के शर्तों एवं स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्व की सेवा के वेतन के आधार पर नयी सेवा के पद पर वेतन निर्धारण की पात्रता रखते हैं, के वेतन निर्धारण हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

(I) यदि किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसे नये पद पर होती है जो पूर्व पद की अपेक्षा उच्च पे लेवल वाला है तो उसके पूर्व पद के पे लेवल में प्राप्त हो रहे मौलिक वेतन के समतुल्य राशि उच्च पे लेवल में तलाशी जायेगी। यदि उच्च पे लेवल के किसी कोष्ठिका में उक्त राशि के समतुल्य राशि उपलब्ध है तो वही राशि उसका मूल वेतन होगी और यदि वह राशि उस उच्च पे लेवल की किसी कोष्ठिका में उपलब्ध नहीं है तो उस उच्च पे लेवल में अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूल वेतन होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(II) यदि किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति समान पे लेवल वाले पद पर होती है तो नये पद पर उसका मूल वेतन वही रहेगा जो उसे पूर्व पद पर मौलिक रूप से प्राप्त हो रहा था।

(III) यदि किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसे नये पद पर होती है जो पूर्व पद की अपेक्षा निम्न पे लेवल वाला है तो उसके पूर्व पद के पे लेवल में प्राप्त हो रहे मौलिक वेतन के समतुल्य राशि निम्न पद के पे लेवल में तलाशी जायेगी। यदि निम्न पद के पे लेवल की किसी कोष्ठिका में उक्त राशि के समतुल्य राशि उपलब्ध है तो वही राशि उसका मूल वेतन होगा और यदि वह राशि नये पद के पे लेवल की किसी कोष्ठिका में उपलब्ध नहीं है तो नये पद के पे लेवल में उसका वेतन ठीक नीचे के कोष्ठिका वाली राशि में निर्धारित होगी और अन्तर की धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमन्य होगी जो आगामी वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियों में समायोजित की जायेगी, किन्तु नये पद के पे लेवल का अधिकतम यदि उसको पूर्व पद पर प्राप्त हो रहे मौलिक वेतन से कम है तो उसका वेतन नये पद के पे लेवल के अधिकतम पर ही निर्धारित किया जायेगा।

4- उपरोक्त प्रस्तर-3 में वर्णित प्रक्रियानुसार वेतन निर्धारण, शासनादेश संख्या-1/2016/जी-2-89/दस-2016-1/2016, दिनांक 31 मई, 2016 में निर्धारित अन्य शर्तों के पूरा होने की स्थिति में ही किया जायेगा तथा यदि वेतन दिनांक 02 जनवरी से लेकर 30 जून तक निर्धारित किया जाता है तो 06 माह की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने की स्थिति में अगली वेतनवृद्धि आगामी 01 जनवरी को तथा इसी प्रकार यदि वेतन 02 जुलाई से लेकर 31 दिसम्बर तक निर्धारित किया जाता है तो 06 माह की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने की शर्त पर अगली वेतनवृद्धि आगामी 01 जुलाई को देय होगी।

5- सम्बन्धित सरकारी सेवक यदि पूर्व पद के संदर्भ में समयमान-वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान अथवा सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) के लाभ के फलस्वरूप वेतन प्राप्त कर रहा है तो उसके वेतन निर्धारण का प्रकरण इस शासनादेश से आच्छादित नहीं होगा तथा ऐसे प्रकरणों हेतु पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश ।

7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।